भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में फार्मासिस्ट के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में फार्मासिस्ट के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारुप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारुप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक: 24.4.18

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
1.	पद का नाम	कम्पाउंडर	फार्मासिस्ट	सीआईपी, रांची ने सूचित किया है कि 10.7.1968 को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त व्यक्ति (श्री उपेन्द्र प्रसाद) प्रति पृष्ठ -11 -13/सी पर संलग्न है, की सेवा पुस्तिका को छोड़कर कोई अन्य आदेश अथवा संबंधित प्रलेख उपलब्ध नहीं है। जहां तक अन्य संगठन में फार्मासिस्ट के साथ वेतन की समानता का संबंध है, सूचित किया जाता है कि एम्स, सीजीएचएस आदि जैसे केन्द्र सरकारी अस्पतालों में वेतन, सीआईपी रांची में कंपाउंडर (फार्मासिस्ट) के वेतन के समान है। एम्स और सीजीएचएस में फार्मासिस्ट के पद के भर्ती नियमों की प्रतियां संलग्न हैं।
2.	पदों की सं.	2 (दो)	35* (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	एक पद दिनांक 15.9.1966 के डीजीएचएस के पत्र सं. 22-65/एम-1 (एमएच) के माध्यम से सृजित किया गया था।
3.	वर्गीकरण	अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	का. प्रशि. विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार लेबल 5 के पद समूह 'ग्' पदों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	रु. 130-5-175 ई.बी.-6-205-7-212-ई.बी.-7-240 (दूसरा के.वे.आ.)	पे मैट्रिक्स का लेवल- 5 (रु. 29200-92300)	सातवें.केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन परिवर्तित कर दिया गया है।

		रु. 330-10-380-ई.वी.-15-500-ई.बी.15-560 (तीसरा के.वे.आ.) रु. 1350-30-1440-40-1800-ईबी-50-2200 (चौथा के.वे.आ.) एस-8(रुपये 4500-125-7000 (पांचवा के.वे.आ.) रुपये 5200-20200, पी.वी.-1, ग्रे.वे. रु. 2800 (छठा के.वे.आ.)		
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	का.प्र.वि. के दिशानिर्देशों के अनुसार पद सीधी भर्ती के रूप में भरा जाना है इसलिए यह कॉलम लागू नहीं होगा।
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	25 वर्ष	18-25 वर्ष के बीच (विभागीय कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार 40 वर्षों तक शिथिलनीय) टिप्पणी: सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा के निर्धारण की तारीख वह होगी जो भारत के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख है (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा का.ज्ञा.सं.ए.बी-1017/13/2013—एस्ट (आरआर) दिनांक 31.3.2015 के माध्यम से उनके दिशानिर्देशों के अनुसार।

			लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए आवेदनपत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख)	
7.	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	धारा 31 (सी) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए पात्र बनाने वाली कोई अर्हता अथवा फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 32 देखें।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 10+2 (ii) फार्मेसी में डिप्लोमा। (iii) मान्यताप्राप्त अस्पताल में छः महीने का प्रशिक्षण।	सीआईपी रांची द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार।
8	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष	2 वर्ष टिप्पणी: 2 वर्ष की अवधि में दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल होगा।	
10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा	100% सीधी भर्ती द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी : एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए उम्मीदवार के प्रतिनियक्ति पर जाने,या लंबी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश पर जाने अथवा किन्हीं	कोई परिवर्तन नहीं।

	और विभिन्न पद्धत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		अन्य परिस्थितियों में अवकाश पर जाने के कारण रिक्तियों को केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है, जो : क (i) : नियमित आधार पर समतुल्य पदधारी हों या (ii) वेतन मेट्रिक्स के लेबल-4 पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा रखते हों, और (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।	
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं।	पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	लागू नहीं	विभागीय स्थायीकरण समिति: 1. संस्थान के निदेशक- अध्यक्ष 2. चिकित्सा अधिकारी- सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य	स्थायीकरण के लिए डीसीसी अनिवार्य है।
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं।